<u>कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।</u>

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 24/04/2025**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 23.04.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

<u>01. थाना गहमर पुलिस द्वारा चोरी की गई 01 अदद 5HP वैक्यूम मोटर पम्प के साथ 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।</u>

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत उ0नि0 विवेक कुमार पाठक चौकी प्रभारी बारा बारा बिहार बार्डर बैरियर पर मौजूद रहकर चेकिंग के दौरान थाना गहमर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 91/2025 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित एक नफर अभियुक्त अखिलेश यादव व 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। जिनके पास से 01 अदद 05 हार्सपॉवर वैक्यूम पम्प मोटर सीरियल नं. U24J00232 बरामद किया गया। उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –</u>

1. अभियुक्त अखिलेश यादव पुत्र नान्हू सिंह यादव ग्राम रौजा पुरैनिया थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 19 वर्ष
2. 01 नफर बाल अपचारी

<u>बरामदगी का विवरण –</u>

1. 01 अदद 05 हार्सपावर वैक्यूम पम्प मोटर सीरियल नं. U24J00232 बरामद हुआ।
2. 01 अदद चारपहिया वाहन (महिन्द्रा सुप्रो वाहन संख्या Up61AT1968)

<u>अपराधिक इतिहास—</u>

मु0अ0सं0 91/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना गहमर जनपद गाजीपुर थाना गहमर जनपद गाजीपुर

02. थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 21 पाउच देशी शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 22.04.2025 को मुखबिरी सूचना के आधार पर सकरा बिन्द पुरवा से अभियुक्त मोनू बिन्द पुत्र सुरेन्द्र बिन्द निवासी तारडीह थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर को गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से सफेद प्लास्टिक के झोले में 21 अदद देशी शराब का पाउच बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 273/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम पता-

1. मोनू बिन्द पुत्र सुरेन्द्र बिन्द निवासी तारडीह थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र 20 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 273/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

03. थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 19 पाउच देशी शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 22.04.2025 को मुखबिरी सूचना के आधार पर सकरा बिन्द पुरवा से अभियुक्त राजेश पुत्र श्यामलाल विन्द निवासी ग्राम सकरा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर को गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से देशी शराब 19 पाउच बरामद होने पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 274/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम पता -

राजेश पुत्र श्यामलाल विन्द निवासी ग्राम सकरा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र 35 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 274/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक

गाजीपुर